पत्र संख्या–आई0टी0–जी0एस0टी0–रजिस्ट्रेशन/ 2017–18/1252 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(आई0टी0 अनुभाग)

लखनऊ:: दिनांक:: 02 नवम्बर, 2017

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक),
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

दिनांक 01.07.2017 से आरम्भ की गई जी0एस0टी0 व्यवस्था में नये पंजीकृत व्यापारियों के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य कर द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिग के माध्यम से निर्देशित किया गया था ऐसे कि नये पंजीकृत व्यापारी जिनके द्वारा रिर्टन दाखिल नहीं किये जा रहे हैं उनसे टेलीफोन द्वारा सम्पर्क करके रिटर्न दाखिल कराया जाये और यदि उनके द्वारा फिर भी रिटर्न दाखिल नहीं किया जाता है तो उनकी जॉच कर यह सुनिश्चित किया जाये कि उनके द्वारा वास्तव में व्यापार किया जा रहा है अथवा नहीं। व्यापार स्थल की जॉच के समय रिटर्न दाखिल करने में आ रही कठिनाइयों की जानकारी कर उनका निराकरण कराया जाये व हैल्पडेस्क के माध्यम से रिटर्न दाखिल कराने का प्रयास किया जाये। इस सम्बन्ध में जी0एस0टी0एन0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी **Excel Sheet** के आधार पर नये पंजीकृत व्यापारियों की जोन, सम्भाग तथा खण्डवार सूची जिसमें पंजीकृत व्यापारियों के मोबाइल नम्बर तथा ई–मेल आई0डी0 भी सम्मिलित है उपलब्ध करायी जा चुकी है। अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा जॉच कार्यक्रम के दैनिक अनुश्रवण के निर्देश दिये गये है इस क्रम में अधिकारियों द्वारा भी जा रही जॉच का सम्भागवार विवरण फीडिंग हेतु ऑनलाइन फार्मेट विभागीय वेबसाइट में **Departmental Services** के अन्तर्गत **New Registration Enquiry** के **Link** पर उपलब्ध है।

अतः समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) को निर्देशित किया जाता है कि नये पंजीकृत व्यापारियों के सर्वेक्षण की दैनिक प्रगति की सूचनाएँ उक्त फार्मेट में सम्भागवार सबमिट करना सुनिश्चित करेंगें। इस कार्य का अनुश्रवण प्रत्येक जोनल एडीशनल कमिश्नर द्वारा स्वयं किया जायेगा।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

(आन्जनेय कुमार सिंह)
एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पृ0प0सं0 व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1– अपर मुख्य सचिव महोदय वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर उत्तर प्रदेश शासन।

2– डिप्टी कमिश्नर एवं वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी प्रथम वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0)
वाणिज्य कर, मुख्यालय उत्तर प्रदेश।